फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

माधोसिंह बनाम तोफली वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 188/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 244 वाके रामा गिरधरपुरा तह0 सिकराय में स्थित है, मूल वाद वादीगण द्वारा स्थाई निषे0 बाबत पेश किया गया है जो कि वादीगण की स्वंय की निजी खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण/वादीगण को द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में निर्माण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य लडाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दौराने बहस निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण का मकान बुजुर्गान के समय से ही अप्रार्थीगण की भूमि में बना हुआ है जिस जगह मकान बना हुआ है उस अप्रार्थीगण के पूर्वज 100 वर्ष से भी अधिक पुराने समय से रहते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके पूर्वजों द्वारा बनवाए गए मकान जो कि जर्जर हो चुका है उसकी मरम्मत करवाई है। इसलिए मकान की जर्जर हालत को देखते हुए एवं अप्रार्थीगण के घर में विवाह समारोह को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषे0 खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस के मनन से यह साबित होता है विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण निर्माण करना चाहते है जो कि उनका स्वंय का जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार्य कथन है। उक्त से यह बखूबी साबित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में बिना किसी हक अधिकार के अप्रार्थीगण निर्माण करना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस मकसद में सफल होते है तो प्रार्थीगण को इससे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है, अपूर्णनीय क्षति का सिद्वांत एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म की जाती है। अप्रार्थीगण मूल वादपत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण खसरा नंबर 244 में नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	